रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(ii)
PART II—Section 3—Sub-section—(ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 1997/चैत्र 20,1919
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1997/CHAITRA 20, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

का. आ. 312(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

अप्रैल-जून, 1991 में हुए साधारण निर्वाचन में तमिलनाडु राज्य में 220-चेरनमहानदेवी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री आर. पुथुनैयनार अथिथन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) का निर्वाचन, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 123 के खंड (6) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 31-1-1994 को अपास्त कर दिया गया था;

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25-2-1994 के अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन रोक दिया था;

और उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय के आक्षेपगत निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई, तारीख 26-3-1996 को अपील खारिज कर दी;

और, राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसरण में इस प्रश्न पर कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है (उपाबंध देखिए) कि निर्वाचित अभ्यर्थी को ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण किए जाने के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसकी संगणना तारीख 26-3-1996 अर्थात्, उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से की जाएगी, निरर्हित किया जाना चाहिए;

अत: अब, मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को तारीख 26-3-1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए।

अप्रैल 7, 1997 भारत का राष्ट्रपति

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

गणपूर्ति :

डा. एम. एस. गिल, **मुख्य निर्वाचन आयुक्त**

डा. जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति **निर्वाचन आयुक्त**

वर्ष 1996 का निर्देश मामला सं. 4 (आर. पी. ए.)

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

संदर्भ : श्री आर. पुथुनैयनार अथिथन, भूतपूर्व सदस्य, तमिलनाडु विधान सभा की निरर्हता।

राय

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् '1951 का अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश है, जिसमें निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि, क्या तमिलनाडु विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आर. पुथुनैयनार अथिथन को पूर्वोक्त अधिनियम की उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा किया जाए तो उसकी अवधि क्या हो।

2. संक्षेप में सुसंगत तथ्य निम्नलिखित है :—

(i) श्री आर. पुथुनैयनार अथिथन, अप्रैल-जून 1991 में हुए साधारण निर्वाचन में 220-चेरनमहान देवी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके निर्वाचन को एक प्रतिद्वंदी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री पी. एच. पांडियन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 1991 की निर्वाचन अर्जी संख्या 1 में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि श्री अथिथन ने विभिन्न भ्रष्ट आचरण किए थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने, तारीख 31-1-1994 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा श्री अथिथन को 1951 के अधिनियम की धारा 123(6) के अधीन भ्रष्ट आचरण, अर्थात् विहित सीमा से अधिक निर्वाचन व्यय उपगत या प्राधिकृत करने का भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और तमिलनाडु विधान सभा में उनका निर्वाचन अपास्त कर दिया।

(ii) मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर श्री अथिथन ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 1994 की सिविल अपील संख्या 877 फाइल की। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25-2-1994 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश का प्रवर्तन इन शर्तों पर रोक दिया कि अपील के लंबित रहने तक श्री अथिथन को विधान सभा के उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु उन्हें विधान सभा के सदस्य के रूप में न तो उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा न ही मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और न ही वह कोई पारिश्रमिक पाएंगे। अंततः उच्चतम न्यायालय ने तारीख 26-3-1996 को अपने आदेश द्वारा श्री अथिथन की अपील उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को मान्य ठहराते हुए खारिज कर दी के उसने 1951 के अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन ऊपर निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किया था और यह निष्कर्ष दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन के परिणाम की घोषणा शून्य किया जाना विधि की किसी ऐसी त्रुटि से दूषित नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो।

(iii) उच्चतम न्यायालय के तारीख 26-3-1996 के उक्त विनिश्चय के तर्कफल के रूप में तमिलनाडु विधान सभा के सचिव ने श्री अथिथन का मामला 1-8-1996 को 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति को उनके इस विनिश्चय के लिए निर्देशित किया कि क्या श्री अथिथन को निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि निरर्हित किया जाए तो किस अवधि के लिए। राष्ट्रपति ने यह विषय 7-8-1996 को उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया है।

3. आयोग ने अपनी राय निश्चित करने के पूर्व श्री अथिथन को सुनवाई का एक अवसर देने का विनिश्चय किया और तद्नुसार तारीख 6-11-1996 सुनवाई के लिए नियत की गई। श्री अथिथन ने 9-9-1996 को अपना लिखित कथन फाइल किया किन्तु 6-11-1996 के लिए नियत सुनवाई उनके विद्वान काउंसेल श्री ई. सी. अग्रवाल, के अनुरोध पर, जिन्होंने उस दिन हाजिर होने में कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां बताई, मुल्तवी कर दी गई। तब इस विषय की सुनवाई 28-2-1997 को की गई जब श्री अथिथन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और उनके विद्वान काउंसेल द्वारा भी उनका प्रतिनिधित्व किया गया था।

4. विद्वान काउंसेल श्री अग्रवाल ने अपने मौखिक निवेदन में यह अनुरोध किया कि यह श्री अथिथन द्वारा स्वतः अधिरोपित क्षति का मामला था। उन्होंने कहा कि यद्यपि निर्वाचन अर्जीदाता ने 1951 के अधिनियम की धारा 123(1), धारा 123(2), धारा 123(4) और 123(6) के अधीन श्री अथिथन द्वारा विभिन्न भ्रष्ट आचरण किए जाने की बाबत अभिकथनों की एक शृंखला प्रस्तुत की है किन्तु उनमें से कोई भी अभिकथन श्री अथिथन के विरूद्ध साबित नहीं हुए। यह उनके अपने लिखित कथन में एक कार के उपयोग की बाबत उनकी अपनी स्वीकृति मात्र थी जिसे उनके विरूद्ध अभिनिर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि श्री अथिथन ने अपने निर्वाचन अभियान के लिए केवल एक कार का प्रयोग किया था और अपने निर्वाचन व्यय के खाते में ऐसी कार के चालान पर 17,875 रुपए का व्यय दिखलाया था उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित कथन में उन्होंने उक्त कार की रजिस्ट्रीकरण संख्या टी सी. एच. 555 दी थी जबकि निर्वाचन व्यय के अपने खाते में उन्होंने उनके द्वारा प्रयुक्त कार की रजिस्ट्रीकरण संख्या टी. एन. 721909 दी गई थी। उनके अनुसार कार संख्या टी. सी. एच. 555 का प्रयोग, कार संख्या टी. एन. 721909 के स्थान पर किया गया था और वस्तुतः केवल एक बार का प्रयोग किया गया था किन्तु उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उन्होंने ऊपर लिखित दोनों कारों का प्रयोग किया था और दूसरी कार के प्रयोग पर इसी आधार पर 17,875 रु. का व्यय अनुमानित किया कि उसके द्वारा वहीं रकम उसके निर्वाचन व्यय के खाते में अन्य कार पर उसके व्यय के रूप में दिखलाई गई थी। उच्च न्यायालय ने तब इस 17,875 रु. के अनुमानित व्यय को 36,650 रु. में, जो उसके निर्वाधन व्यय खाते में उसके कुल निर्वाचन व्यय के रूप में उसके द्वारा दिखलाया गया था, जोड़ दिया। 17,875 रु. की इस रकम को इस प्रकार 36,650 रु. की रकम में जोड़ने से श्री अथिथन का कुल निर्वाचन व्यय उच्च न्यायालय द्वारा 54,525 रु. निर्धारित किया गया है और वह 50,000 रु. की उस विहित अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है जो तत्समय विद्यमान विधि के अधीन प्रश्नगत निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा उपगत किया जाता या उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि श्री अथिथन ने विहित सीमा से 4,525 रु. अधिक का व्यय किया है और उसे अधिनियम, 1951 की धारा 123(6) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया । विद्वान काउंसेल ने आगे यह निवेदन किया कि श्री अथिथन का स्पष्टीकरण और प्रतिवाद, जो कि उसने मात्र एक कार का उपयोग किया था, उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तथा उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर कि उस तथ्य को साबित करने के लिए उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था और यह कि गलती से उसके अपने लिखित कथन में उसकी स्वीकृति उसके विरुद्ध ठहराई गई थी।

5. विद्वान काउंसेल ने इसलिए, अनुरोध किया कि आयोग श्री अथिथन के पक्ष में एक नम्र दृष्टिकोण अपना सकता है और उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए निरर्हता अधिरोपित कर सकता है ।उसने आयोग से इस तथ्य पर भी विचार करने के लिए अनुरोध किया कि श्री अथिथन ने उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से न तो तमिलनाडु विधान सभा की कार्यवाहियों में से किसी भी कार्यवाही में भाग लिया था और न ही उसने उस तारीख से, कोई वेतन, आदि आहरित किया था। इसके अतिरिक्त, उसके विरुद्ध न्यायालयों के निर्णय का सम्मान करते हुए, उसने तमिलनाडु विधान सभा का पश्चात्वर्ती साधारण निर्वाचन, जो अप्रैल-मई, 1996 में हुआ था, नहीं लड़ा था, हालांकि उसकी निरर्हता अथवा अन्यथा से संबंधित विनिश्चय अभी राष्ट्रपति द्वारा लिया जाना था।

6. आयोग ने, श्री अथिथन की ओर से विद्वान काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है। यह कहना आवश्यक नहीं है और विद्वान काउंसेल ने स्पष्टत: स्वीकार किया है कि आयोग निर्वाचन याचिकाओं और निर्वाचन अपीलों में न्यायालयों के निष्कर्षों के विरुद्ध नहीं जा सकता है क्योंकि इससे उच्च न्यायालयों और शीर्षस्थ न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर किए गए निर्णय के ऊपर निर्णय करने के समान होगा। आयोग न्यायालय के ऐसे निष्कर्षों से उद्भूत 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय इन निष्कर्षों से आबद्ध है।

7. आयोग को वर्तमान कार्यवाही में केवल इन प्रश्नों पर निश्चय करना और राष्ट्रपति को अपनी राय देना है कि (1) क्या श्री अथिथन को मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने पर निरर्हित होना चाहिए, और (2) यदि ऐसा है तो कितनी अवधि के लिए । 1951 के अधिनियम की धारा 8 क (1) के परन्तुक के अधीन उसकी निरर्हता की ऐसी अवधि, उस तारीख से, जिसको उसे दोषी पाए जाने वाले न्यायालय का आदेश प्रभावी होता है, 6 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । वर्तमान मामले में, ऐसी तारीख 26-03-1996 होगी, अर्थात् वह तारीख जिसको उच्चतम न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय और आदेश सुनाया था। निरर्हता की अवधि की गणना मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात्, 31-01-1994 से नहीं की जा सकती क्योंकि यह आदेश उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश तारीख 25-02-1994 द्वारा रोक दिया गया था और यह अंतरिम आदेश उच्चतम न्यायालय के तारीख 26-03-1996 को अंतिम आदेश की तारीख तक प्रवर्तन में बना रहा। इस प्रकार श्री अथिथन को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाने वाला आदेश विधि के अधीन तारीख 26-03-1996 को प्रभावी हुआ और उन पर अधिरोपित की जाने वाली निरर्हता की किसी अवधि की गणना उसी तारीख, अर्थात् 26-03-1996 से करनी होगी।

8. मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्टतया यह अभिनिर्धारित किया है कि अपने निर्वाचन व्यय की विवरणी में दूसरी कार के चालन पर के व्यय को छिपाया था। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन व्यय की उनकी विवरणी में उनके द्वारा स्वीकृत रूप से दर्शित व्यय में ऐसी कार के चालन पर अनुमानित व्यय को जोड़कर यह निष्कर्ष निकाला कि श्री अथिथन द्वारा उनके निर्वाचन अभियान में उपगत या प्राधिकृत कुल निर्वाचन व्यय विहित सीमा से अधिक हो गया था और वह 1951 के अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन भ्रष्ट आचरण के तुल्य है। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को मान्य ठहराया है और यह संप्रेक्षण करते हुए कि उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखा कि दूसरी कार पर उपगत व्यय उसके द्वारा जानबूझकर विधारित किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के इन निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर दो राय नहीं हो सकती हैं कि श्री अथिथन को 1951 के अधिनियम की धारा 123 (6) के अधीन ऊपर उल्लिखित भ्रष्ट आचरण करने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

9. श्री अथिथन के विद्वान काउंसेल ने निष्पक्षतावश ऐसा कोई अभिवाक् नहीं किया कि श्री अथिथन को निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए और उन्होंने जो अनुरोध किया वह यही था कि निरर्हता की अवधि के बारे में नरम रुख अपनाया जाए ।

10. आयोग का, निरर्हता की अवधि नियत करते समय, किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति , सीमा और गंभीरता को देखना होता है। वर्तमान मामले में, हालांकि निर्वाचन अर्जीकर्ता ने अपनी निर्वाचन अर्जी में श्री अथिथन के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए थे, जिनमें से अनेक पर उसके द्वारा विचारण के प्रक्रम पर जोर नहीं दिया गया था और शेष आरोपों में से कोई भी आरोप उनके द्वारा श्री अथिथन के विरुद्ध साबित नहीं किया जा सका था । उच्च न्यायालय ने उन्हें उस कार पर किए गए व्यय को छिपाने का दोषी अभिनिर्धारित किया है जिसे उसने स्वयं अपने लिखित कथन में स्वीकार किया है। वह रकम जिससे उनके द्वारा निर्वाचन व्यय की उनकी विवरणी में दर्शित कुल व्यय में ऐसे छिपाए गए व्यय को जोड़ कर विहित सीमा से अधिक पाई गई है, केवल 4525 रु. है। ऐसे निष्कर्ष पर यह नहीं कहा जा सकता कि श्री अथिथन ने ऐसा व्यय इस प्रकार का व्यर्थ निर्वाचन व्यय किया है जिससे कि धन शक्ति ने उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अभियान पर अपकारी प्रभाव डाला हो। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि निर्वाचन व्यय की परिसीमा जैसी कि वह इस समय विधि के अधीन नियत की गई है, अत्यधिक कम है और आयोग बारबार सरकार से उसे एक वास्तविक स्तर तक बढ़ाने के लिए अनुरोध करता रहा है ताकि अभ्यर्थी विधि सम्मत खर्च करके प्रभावी निर्वाचन अभियान चलाने में सक्षम हो सके।

11. इन तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, यदि श्री अथिथन को उच्चतम न्यायालय के तारीख 26-03-1996 के आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाता है तो आयोग की राय में न्याय साम्य और निष्पक्षता के लक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे।

12. तदनुसार, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति को अपनी यह राय देता है कि श्री आर. पुथुनैयनार अथिथन को, उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात् 26-03-1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए, निरर्हित किया जाना चाहिए।

ह./-
(डा. एम. एस. गिल)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./-
(डा. जी. वी. जी. कृष्णामूर्ति)
निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,
तारीख 17 मार्च, 1997.

[फा. सं. 7/11/97-विधायी-II]
पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1997

S.O. 312(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri R. Puthunainar Athithan (hereinafter referred to as the 'returned candidate'), from 220-Cheranmahandevi Assembly Constituency in the State of Tamil Nadu at the general election held in April-June, 1991, was set aside by the Madras High Court on 31-1-1994 on the ground of commission by the returned candidate of corrupt practice under clause (6) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) (hereinafter referred to as "the said Act");

Whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court by an interim order dated 25-2-1994 stayed the operation of the order of the High Court;

And whereas the Supreme Court dismissed the appeal on 26-3-1996 holding that no infirmity could be found in the impugned judgement of the High Court;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the returned candidate should be disqualified for having committed the corrupt practice mentioned above, for a period of one year to be reckoned from 26-3-1996 i.e. the date of the Order of the Supreme Court;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act, do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of one year from 26-3-1996.

Dated : 7 April, 1997. PRESIDENT OF INDIA

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM :

DR. M.S. GILL — Chief Election Commissioner
DR. G.V.G. KRISHNAMURTY — Election Commissioner

Reference Case No. 4(RPA) of 1996

[Reference from the President of India under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

In *re* : Disqualification of Shri R. Puthunainar Athithan, former member of the Tamil Nadu Legislative Assembly.

OPINION

This is a reference from the President of India under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the '1951-Act') seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri R. Puthunainar Athithan, a former member of the Tamil Nadu Legislative Assembly, should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A of the aforesaid Act and, if so, for what period.

2. The relevant facts, briefly stated, are as follows :—

(i) Shri R. Puthunainar Athithan was elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly from 220-Cheranmahandevi Assembly Constituency at the general election held in April-June, 1991. His election was challenged by one of the rival contesting candidates, Shri P.H. Pandian, before the Madras High Court in Election Petition No. 1 of 1991, on the ground that Shri Athithan had committed various corrupt practices. The Madras High Court, by its judgment and order dated 31-1-1994, found Shri Athithan guilty of corrupt practice under section 123(6) of the 1951-Act, i.e., corrupt practice of incurring or authorising election expenditure in excess of the prescribed limit, and set aside his election to the Tamil Nadu Legislative Assembly.

(ii) Aggrieved by the said judgement and order of the Madras High Court, Shri Athithan filed Civil Appeal No. 877 of 1994 before the Supreme Court of India. The Supreme Court, by its interim order dated 25-2-1994, stayed the operation of the High Court's judgement and order on the conditions that Shri Athithan would be permitted to sign the attendance register of the Assembly, but would not be permitted to participate in its proceedings, nor would he vote and that he would not draw any remuneration as member of the Assembly, pending disposal of the appeal. Ultimately, the Supreme Court, by its order dated 26-3-1996, dismissed

the appeal of Shri Athithan upholding the finding of the High Court that he had committed the above-referred corrupt practice under section 123(6) of the 1951-Act and concluding that the declaration of the result of his election as void by the High Court was not vitiated by any error of law warranting interference.

(iii) As a sequal to the above decision dated 26-3-1996 of the Supreme Court, the Secretary to the Tamil Nadu Legislative Assembly referred the case of Shri Athithan to the President on 1-8-1996 in terms of section 8A(1) of the 1951-Act for his decision whether Shri Athithan should be disqualified and, if so, for what period. The President referred the matter to the Commission for its opinion under section 8A(3) of the said Act on 7-8-1996.

3. Before formulating its opinion, the Commission decided to afford Shri Athithan an opportunity of being heard and accordingly fixed a hearing for the purpose on 6-11-1996. Shri Athithan filed his written statement on 9-9-1996; but the hearing fixed for 6-11-1996 was postponed at the request of his learned counsel, Shri E.C. Agarwala, who expressed some personal difficulty in appearing on that day. The matter was than heard on 28-2-1997, when Shri Athithan was present in person and was also represented by his learned counsel.

4. In his oral submissions, the learned counsel, Shri Agarwala, submitted that it was a case of self-inflicted injury by Shri Athithan. He stated that though the election petitioner had levelled a series of allegations regarding commission of various corrupt practices by Shri Athithan under Section 123(1), 123(2), 123(4) and 123(6) of the 1951-Act, none of those allegations were proved against him. It was only his own admission with regard to the use of a car in his written statement that was held against him. He stated that Shri Athithan had used only one car for his election campaign and had shown an expenditure of Rs. 17,875/- in his account of election expenses on the running of such car. In his written statement before the High Court, he gave the registration number of that car as TCH 555, whereas in his account of election expenses he had given the registration number of the car used by him as TN 72 1909. According to him, the car No. TCH 555 was used in substitution for the car bearing No. TN 72 1909 and in fact only one car had been used, but the High Court held that he had used both the abovementioned cars and estimated the expenditure on the use of second car as Rs. 17,875/- on the basis that a similar amount had been shown by him as his expenditure on the other car in his account of election expenses. The High Court then added this estimated expenditure of Rs. 17,875/- to the amount of Rs. 36,650/- which was shown by him as his total election expenditure in his account of election expenses. By such addition of the amount of Rs. 17,875/- to Rs. 36,650/-, the total election expenditure of Shri Athithan has been assessed by the High Court as Rs. 54,525/- and that exceeded the prescribed ceiling of Rs. 50,000/- which could be incurred or authorised under the then existing law by a candidate at the impugned election The High Court, thus, held that Shri Athithan had exceeded the prescribed limit by Rs. 4,525/- and held him guilty of corrupt practice under Section 123(6) of the 1951-Act. The learned counsel further submitted that Shri Athithan's explanation and defence that he had used only one car was not accepted by the High Court and the Supreme Court on the ground that he had not led any evidence to prove that fact and that the admission by him by mistake in his written statement was held against him.

5. The learned counsel, thus, prayed that the Commission may take a lenient view in favour of Shri Athithan and may impose a disqualification of not more than two years from the date of High Court's order. He also urged the Commission to take into consideration the fact that Shri Athithan had not participated in any of the proceedings of the Tamil Nadu Legislative Assembly since the date of the High Court's order nor had he drawn any salary, etc., from that date. Further, in deference to the verdict of the Courts against him, he had not contested the subsequent general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly which was held in April-May, 1996, though the decision with regard to his disqualification or otherwise was yet to be taken by the President.

6. The Commission has carefully considered the submissions made by the learned counsel on behalf of Shri Athithan. It hardly needs to be stated - and the learned counsel also fairly conceded - that the Commission cannot go behind the findings of the Courts in election petitions and election appeals as that would tantamount to the Commission sitting in judgement over the findings of the High Courts and the Apex Court. The Commission is bound by those findings while considering the question of disqualification under Section 8A of the 1951-Act arising out of such findings of the Courts.

7. The Commission, in the present proceedings, is to formulate and tender its opinion to the President only on the questions (i) whether Shri Athithan should be disqualified for having been found guilty of the abovementioned corrupt practice by the Madras High Court and the Supreme Court, and (ii) if so, for what period. Under the proviso to Section 8A(1) of the 1951-Act, such period of his disqualification cannot exceed six years from the date on which the order of the Court finding him guilty takes effect. In the present case, such date will be 26-03-1996, i.e., the date on which the Supreme Court pronounced its final judgement and order. The period of disqualification cannot be reckoned from the date of the Madras High Court's order, i.e., 31-01-1994, as that order was stayed by the Supreme Court's interim order dated 25-02-1994 and that interim order continued to be in operation till the date of the Supreme Court's final order on 26-03-1996. Thus, the order finding Shri Athithan guilty of corrupt practice took effect under the law on 26-03-1996 and any period of disqualification imposed on him will have to be reckoned from that date, i.e., 26-03-1996.

8. The Madras High Court has categorically held that Shri Athithan had suppressed the expenditure on the running of the second car in the return of his election expenditure. By

adding an estimated expenditure on the running of such car to the expenditure admittedly shown by him in his return of election expenditure, the High Court has found that the total elections expenditure incurred or authorised by Shri Athithan in his election campaign exceeded the prescribed ceiling and that amounts to corrupt practice under Section 123(6) of the 1951-Act. The Supreme Court has also upheld the finding of the High Court and has seen no reason to interfere with that finding observing that the expenditure on the second car was deliberately withheld by him. In view of these findings of the Madras High Court and Supreme Court, there cannot be two opinions that Shri Athithan should be disqualified for having committed the abovementioned corrupt practice under Section 123(6) of the 1951-Act.

9. In fairness to the learned counsel of Shri Athithan, he too did not make any plea that Shri Athithan should not be disqualified and what he prayed for was only for a lenient view in regard to the period of disqualification.

10. While fixing the period of disqualification, the Commission has to see the nature, extent and gravity of the corrupt practice committed. In the present case, though the election petitioner had levelled various allegations against Shri Athithan in the election petition, many of those were not pressed by him at the trial stage and none of the rest were proved by him against Shri Athithan. The High Court has held him guilty of suppression of expenditure on a car which he himself admitted in his written statement. The amount by which the prescribed ceiling has been found to have been exceeded by the addition of such suppressed expenditure to the total expenditure shown by him in his return of election expenditure is only Rs. 4,525/-. On such finding, it cannot be said that Shri Athithan indulged in such an extravagant election expenditure that the money power had its pernicious effect in the election campaign in the constituency. It can also not be lost sight of that the ceilings on election expenses as presently fixed the law are inadequately low and the Commission has been repeatedly urging the Government to raise them to a realistic level so that the candidates are able to carry on an effective election campaign by legitimate spending.

11. Having regard to the totality of these facts and circumstances, the ends of justice, equity and fairplay would, in the opinion of the Commission, be fully met if Shri Athithan is disqualified for a period of one year from the date of the Supreme Court's order on 26-03-1996.

12. Accordingly, the Election Commission hereby tenders its opinion to the President under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951 that Shri R. Puthunainar Athithan should be disqualified under Section 8A(1) of the said Act for a period of one year from the date of the Supreme Court's order, viz., 26-03-1996.

(DR. M.S. GILL) (DR. G.V.G. KRISHNAMURTY)
Chief Election Commissioner Election Commissioner

New Delhi
Dated 17th March, 1997.

[F. No. 7(11)/97-Leg.II]

P.L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1997